भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 347
21 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाएं

347 **श्री पुट्टा महेश कुमार :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश में इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत प्रस्तावित, विचाराधीन और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यशील कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं की सूची का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में उन केंद्रित क्षेत्रों की सूची का जिला-वार ब्यौरा क्या है, जिनमें सीएसआर परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, आरंभ की गई हैं और वर्तमान में कार्यशील हैं;

(ग) सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश में ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक सीएसआर पहल के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश में ऐसे सीएसआर कार्यकलापों के लाभार्थियों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आरंभ की गई सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्यकलाप/योजनाएं आरंभ की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा संचालित सीएसआर परियोजनाएं मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, इस्पात टाउनशिपों तथा खदानों के आसपास के क्षेत्रों में चलाई जाती हैं, जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की आबादी निवास करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुसार, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

इनके प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, आजीविका सृजन, स्वच्छता, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, खेल और पारंपरिक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल हैं। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कार्यों से समाज को व्यापक लाभ मिलता है, इसलिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किए गए अलग- अलग कार्यों से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की सटीक संख्या जिला-वार मापना संभव नहीं है और इसका रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है।

(ड.) और (च): सीपीएसई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाएं/पहलें अनुमोदित नीतियों और वैधानिक मानदंडों के अनुसार हैं।

*****